संख्या-784/2025/नौ-5-2025/001-Comp. No 1800631

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महोबा, जनपद-महोबा।
2-अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कुसमरा, जनपद-मैनपुरी।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2025

विषय:- राज्य सेक्टंर के नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत कतिपय निकायों में परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि के लैप्स हो जाने के दृष्टिगत धनराशि पुन: अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना जाना है कि राज्य सेक्टर के नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत कतिपय निकायों में गत वित्तीय वर्षों में तालाब के सौन्दर्यीकरण कार्य से संबंधित परियोजनाओं हेतु निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी थी, परन्तु परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण संबंधित कोषागार से निर्धारित समयान्तर्गत न होने के कारण उक्त अवमुक्त धनराशि लैप्स हो गयी है:-

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	जनपद	निकाय का नाम	शासनादेश व दिनांक	पूर्व में स्वीकृत की गयी धनराशि	पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि
1	महोबा	नगर पालिका परिषद, महोबा	319/2024/1218/नौ-5-2024/002-Com.No.1780563-NJPTSY दिनांक 24.02.2024	49.91	25.00
2	मैनपुरी	नगर पंचायत, कुसमरा	291/2024/887/नौ-5-2024/001-Com.No.1780563-NJPTSY दिनांक 08.02.2024	38.99	20.00
			योग:-	88.90	45.00

2- उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत कार्यहित में उपरोक्त परियोजनाओं हेतु लैप्स धनराशि को पुन: स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 02 नगरीय निकायों में तालाब के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु रू0 88.90 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि **रू0 45.00** लाख (**रू0 पैंतालीस लाख मात्र**) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	महोबा	नगर पालिका परिषद, महोबा	शीतला देवी तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	49.91	25.00
2	मैनपुरी	नगर पंचायत, कुसमरा	गाटा संख्या-65 में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	38.99	20.00
			योग:-	**88.90**	**45.00**

रू0 45.00 लाख (**रू0 पैंतालीस लाख मात्र**)

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गात शासनादेश संख्या-66/2016/1120/नौ-5-2016-42बजट/2016 दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नशगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वींकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।
11. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
12. कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी की होगी।
13. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त, नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त, विभाग को दे दी जाय।
14. इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217801920700 नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (*2*) रुपये 20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217801930700 नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

-2-

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
25.03.2025

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या-**784/2025/**नौ-5-2025**/001-Comp. No 1800631,** तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
2-महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3-संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4-संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5-संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2।
8-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,
25.03.2025

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-25/03/2025

प्रेषण संख्या:- 784
आवंटन आदेश संख्या:- 001-784-2025-9-5-2025-001-CN-1800631
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
07 - नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	महोबा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पच्चीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पच्चीस लाख

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-25/03/2025

प्रेषण संख्या:- 784
आवंटन आदेश संख्या:- 001-784-2025-9-5-2025-001-CN-1800631
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता
07 - नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मैनपुरी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 14200000	2000000 14200000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2000000 14200000	2000000 14200000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ बयालीस लाख

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव